उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–1

संख्याः152 / 9–आ–1–1998

लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी, 1998

कार्यालय ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरणों की कुछ श्रोतों से आय के निर्धारित अंश को इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार श्री राज्ययपाल न सहर्ष निदेशित किया है कि :–

1. नीचे प्रस्तर–5 में उल्लिखित आय को विकास प्राधिकरण के सामान्य पूल में न डालकर एक अलग बैंक खाते में, जो आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु निहित होगा, में जमा की जाय।

2. यह खाता विकास प्राधिकरण के स्तर पर होगा, परन्तु इस खाते की धनराशि से व्यय, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति के अनुमोदन से किया जायेगा जिसके सदस्य जिलाधिकारी , उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम / अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद व जल निगम के प्रतिनिधि होंगे।

3. उक्त खाते से किये जाने वाले व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनदेश में निहित रीति से किये जायेंगे।

4. इस खाते से प्रत्येक वर्ष 80 प्रतिशत पूंजीगत व्यय किया जायेगा तथा अधिकतम 20 प्रतिशत राजस्व व्यय किया जा सकेगा।

5. इस खाते में निम्नलिखित प्राप्तियाँ जमा की जायेगी :–

(क) निम्न स्तरीय भू–उपयोग में परिवर्तन करते समय परिवर्तन शुल्क का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

(ख) विकास प्राधिकरण की योजना के बाहर के शहरी क्षेत्र के मानचित्र स्वीकृति करने हेतु विकास शुल्क तथा सुदृढ़ीकरण शुल्क का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

(ग) शहर की ऐसी अनाधिकृत कालोनियां, जो महायोजना के अनुसार आवासीय खेत्र में स्थापित हैं, के विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृति किये जायेंगे। यह धनराशि इस व्यवस्था के अन्तग्रत ली जायेगी कि उस क्षेत्र के न्यूनतम 80 प्रतिशत भू–भाग द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिये जाने पर ही उस क्षेत्र विशेष का विकास कार्य किया जायेगा। ऐसे किये जाने वाले विकास कार्य का स्तर भी स्पष्ट किया जोयगा–प्राप्त विकास शुल्क का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

(घ) अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले शमन शुल्क का 50 प्रतिशत अंश तथा शेष 50 प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

(च) विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सम्पत्तियों को फ्री–होल्ड किये जाने से प्राप्त होने वाली आय का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

(छ) विकास प्राधिकरणों द्वारा बेचे जा रहे भूखण्डों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाते हुए प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय ाक शत–प्रतिशत अंश।

(ज) विक्रय विलेख के निबन्धन से प्राप्त आय का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः 152 / 9–आ–1–1998 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तदर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
9. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव